बी. आर. नायडू
भा.प्र.से.
आयुक्त

अर्द्ध शास. पत्र क्र. राशिकप्र/रा०पु०/77/09/100

दूरभाष आफिस : 0755 - 2583653
निवास : 0755 - 2430450
फैक्स : 0755 - 2583651
ई-मेल : cpibhop@mp.nic.in

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश शासन
गौतम नगर, भोपाल - 462023

दिनांक 29 मई 2009

विषयः–" राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2009 " हेतु शिक्षकों के प्रस्ताव भेजने बाबत ।

प्रिय श्री

राष्ट्र निर्माता गुरूजनों को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाता है । एतदर्थ चरित्रवान और उत्कृष्ट शिक्षकों के प्रस्ताव आमंत्रित हैं । पुरस्कार हेतु केवल उन्हीं शिक्षकों के नाम प्रस्तावित करें, जो सम्पूर्ण निष्ठा के साथ अध्यापन में प्रवृत्त हों तथा उनके सत्कार्यो के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो । जिले में कार्यरत वस्तुतः योग्य एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों के नाम पुरस्कार हेतु अनुशंसित होने से केवल इस कारण वंचित नहीं होएं कि प्रस्ताव भेजने में संस्था प्रमुखों द्वारा पर्याप्त रूचि नहीं ली गई । अतः इस पत्र को जिले के सभी विद्यालयों में संस्था प्रमुखों को पृष्ठांकित करें ।

2. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु पात्रता के लिए कक्षा शिक्षक के लिए न्यूनतम 15 वर्ष एवं प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के लिये न्यूनतम 20 वर्ष की सतत सेवा आवश्यक है । अतः वर्ष 2009 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु उन्हीं शिक्षकों / प्रधानाध्यापकों / प्राचार्यों के प्रस्ताव भेजे जाएं जिन्होंने दिनांक 31 दिसम्बर 2008 तक उपर्युक्तानुसार अर्हतादायक सेवा पूर्ण कर ली है ।

3. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु अध्यापन की कक्षाओं के अनुसार दो श्रेणियों में शिक्षकों का चयन होना है– प्राथमिक एवं माध्यमिक । कक्षा 1 से 8 को प्राथमिक एवं कक्षा 9 से 12 को माध्यमिक विभाग माना गया है । तद्नुसार ही पृथक–पृथक श्रेणीवार शिक्षकों के प्रस्तावों पर विचार कर अनुशंसाएं की जाएं ।

4. निःशक्त बच्चों की समेकित शिक्षा हेतु विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को पुरस्कार हेतु मध्यप्रदेश के लिये दो स्थान आरक्षित हैं।(प्राथमिक स्तर हेतु–1 तथा माध्यमिक स्तर हेतु –1) अतः निःशक्त बच्चों की समेकित शिक्षा के लिए वास्तविक प्रयास तथा यथार्थ कार्य करने वाले योग्य शिक्षकों के नाम इस श्रेणी में अनुशंसित किए जाएं । शिक्षक द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का विस्तृत एवं सप्रमाण विवरण पृथक से प्रस्तुत किया जाए तथा प्रमाण स्वरूप अभिलेख भी संलग्न किए जाएं ।

5. इसी प्रकार अरबी,फारसी तथा संस्कृत शिक्षकों हेतु भी राष्ट्रीय स्तर पर पृथक कोटा निर्धारित है। अतः परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं, मदरसों आदि के शिक्षकों के प्रस्ताव भी इन श्रेणियों में भेजे जाएं किन्तु इसका यह आशय नहीं है कि सामान्य विद्यालयों में उक्त भाषाओं के शिक्षकों के नामों पर सामान्य श्रेणी में अनुशंसा हेतु विचार नहीं किया जाए ।

6. प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले से प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करने वाले शिक्षक) हेतु 12 तथा माध्यमिक स्तर (कक्षा–8 से 12 तक अध्यापन करने वाले शिक्षक) हेतु 12 एवं निःशक्त बच्चों की समेकित शिक्षा में योगदान करने वाले 03 शिक्षकों के नाम संभागस्तरीय चयन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे । इसी प्रकार संभागस्तरीय चयन समिति द्वारा प्राथमिक स्तर हेतु 15 माध्यमिक स्तर हेतु 15 तथा निःशक्त बच्चों की समेकित शिक्षा में योगदान करने वाले 05 शिक्षकों के प्रस्ताव राज्यस्तरीय चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे ।

7. गतवर्ष कतिपय प्रस्ताव जिला चयन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना प्राप्त हुए । कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जिला चयन समिति का कार्रवाई विवरण ही नहीं भेजा गया अथवा कार्रवाई विवरण की छायाप्रतियां भेजी गई । अतः कृपया सुनिश्चित करें कि सभी अनुशंसित शिक्षकों के प्रस्तावों पर जिला चयन समिति / संभाग स्तरीय चयन समिति की स्पष्ट अनुशंसा हो तथा निर्धारित स्थान पर जिला चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर किये जाएं । कार्रवाई विवरण की मूलप्रति पृथक लिफाफे में भेजें ।

8. जिला चयन समिति की अनुशंसाएं पूर्णतः गोपनीय होना चाहिए । संबंधित शिक्षकों को यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि उनके नाम अनुशंसित किए गए हैं । विगत वर्षों में इस निर्देश की अवहेलना इस सीमा तक की गई है कि अनुशंसित शिक्षक के हस्ते ही प्रस्ताव संचालनालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है । यह स्थिति खेद जनक है । अब ऐसा पाए जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी / संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

9. यह भी देखा गया है कि अनुशंसित शिक्षकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित चैनल में लिखे हुए नहीं होते हैं या गोपनीय प्रतिवेदन की छायाप्रतियां भेजी गई हैं अथवा पांचों वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन वर्तमान में कार्यरत अधिकारी द्वारा ही उन वर्षों के भी वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिख दिए गए हैं जिस अवधि में वे कार्यरत नहीं थे । अतः कृपया सुनिश्चित करें कि सभी वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित चैनल में लिखे गए हों, उन सभी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो और वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की मूल प्रति ही भेजी जाए । यदि किसी शिक्षक की गोपनीय चरित्रावलियों की मूल प्रतियां पदोन्नति / क्रमोन्नति आदि के लिए पूर्व में ही संचालनालय भेजी हुई हैं तो पूर्व में भेजे गए संदर्भ का उल्लेख करें, ताकि वे गोपनीय चरित्रावलियाँ प्राप्त की जा सकें ।।निर्देशों का पालन न होने की स्थिति में प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकेगा ।

10. कृपया पत्र में निहित तथा संलग्न निर्देशों एवं मापदण्डों का पालन करते हुए प्रत्येक श्रेणी में जिले के योग्यतम शिक्षकों के प्रस्ताव वाहक के हस्ते डा. सुभाष पाचपोर,अपर संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के नाम से व्यक्ति हस्ते इस प्रकार भेजे जाएं कि वे उन्हें नियत दिनांक 15 अक्टूबर 2009 तक अवश्य प्राप्त हो जाएं। सभी प्रस्ताव संलग्न परिशिष्ट–1 अनुसार प्रारूप में ही भेजें जाएं यदि कुछ अन्य विवरण, अभिलेख आदि संलग्न करना आवश्यक समझे जाएं तो प्रपत्र के अंत में उनका उल्लेख करते हुए पृथक खण्ड के रूप में संलग्न किये जा सकते हैं ।परिशिष्ट 2 अनुसार अनुशंसित शिक्षक के संबंध में निष्कलंक तथा सतत सेवा का प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से भेजा जावे जिसे संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जावे । परिशिष्ट तीन अनुसार अनुशंसित शिक्षक का जीवन परिचय प्रस्ताव के साथ भेजा जावे तथा तीन पासपोर्ट आकार के फोटो पृथक लिफाफे में भेजे जाएं । तदनुसार समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से जिला चयन समिति की अनुशंसाएँ 30 सितम्बर 2009 तक अनिवार्यतः प्राप्त करें ।जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्ताव दिनांक 20 सितम्बर 2009 तक प्राप्त हो जाने चाहिए ।

11. जिला स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर संभाग स्तरीय चयन समिति को शिक्षकों के नाम अनुशंसित करने हेतु जिला चयन समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

(1) जिला शिक्षा अधिकारी,	अध्यक्ष
(2) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास	सदस्य
(3) प्राचार्य, डाईट	सदस्य
(4) प्राचार्य,उ.मा.वि(यथा संभव राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त)	सदस्य

इसी प्रकार संभाग स्तरीय चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी :–

(1) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, अध्यक्ष

(2) संभाग में स्थित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय का प्राचार्य सदस्य

(संभाग में शास.शिक्षा महाविद्यालय न होने पर निकटतम महाविद्यालय के प्राचार्य)

(3) उपायुक्त आदिवासी विकास सदस्य

(4) प्राचार्य,उ.मा.वि(यथा संभव राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त) सदस्य

12. कार्य सुविधा हेतु प्रस्तावों के परीक्षण का प्रारूप भी आपकी ओर संलग्न कर भेजा जा रहा है । इस संबंध में उन्मुखीकरण हेतु दिनांक 15 जुलाई 2009 को लोक शिक्षण संचालनालय में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आप स्वयं अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें ।

13. राष्ट्र निर्माण का महान कार्य करने वाले गुरूजनों की सेवाओं के फलस्वरूप उन्हें सम्मानित करने की इस योजना की सफलता और सार्थकता चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता में ही निहित है । अतः चयन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाए । चयन बाबत आवश्यक निर्देश एवं परिशिष्ट 1, 2, 3, संलग्न हैं । इस पत्र की अभिस्वीकृति भिजवाएं ।

भवदीय,

(बी0आर0नायडू)

प्रति,

श्री...

संयुक्त संचालक,

लोक शिक्षण,

संभाग.....................................मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक/ राशिकप्र / रा0पु0/ 77 /09/101 भोपाल,दिनांकः 29 मई, 2009

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त,आदिवासी विकास सतपुडा भवन,भोपाल की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को कृपया समुचित निर्देश प्रसारित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु आपके विभाग से भी प्रस्ताव प्राप्त हो सके ।
3. आयुक्त,जन संपर्क संचालनालय,म.प्र. भोपाल ।
4. समस्त आयुक्त, राजस्व संभाग,मध्यप्रदेश ।
5. समस्त कलेक्टर , मध्यप्रदेश ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं पदेन अपर संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश ।
7. सचिव,संस्कृत बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल ।
8. सचिव, मदरसा बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. संयुक्त संचालक ,आई.ई.डी.सी. (स्थानीय) ।

   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अधिकाधिक संख्या में संस्था प्रमुखों से प्रस्ताव प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक आयोजित कर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के प्रस्ताव संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को प्रेषित करें ।

28/5/09

आयुक्त,

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2009 के लिए शिक्षको के चयन हेतु आवश्यक निर्देश

1–राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राज्यस्तरीय चयन समिति द्वारा नाम प्रस्तावित किये जाते हैं किन्तु अन्तिम चयन भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है ।

2–शिक्षकों के जीवन परिचय, कार्य, विषयों के अध्यापन एवं परीक्षाफल प्रतिशत संबंधी जानकारी सुस्पष्ट और अभिलेख के आधार पर सत्यापित करते हुए ही अंकित की जाए ।

3– प्रपत्र में वॉछित सभी जानकारियॉ निर्देशानुसार पूर्ण एवं स्पष्ट भरी जाए । जिन बिन्दुओं पर कोई जानकारी नहीं दी जाना हो वहॉ यथास्थिति निरंक अथवा लागू नहीं लिखा जाना चाहिए । अपूर्ण प्रस्ताव अमान्य कर दिये जायेंगे ।

4–जिला स्तर पर बिचारण हेतु जिले में स्थित सभी प्राथमिक,माध्यमिक,हाईस्कूल तथा हायर सेकण्डरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के प्रस्ताव संस्था प्रमुखों के माध्यम से आमंत्रित किये जाएं । संस्कृत और अरबी फारसी के शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया जाए ।

5–महिला शिक्षकों और आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों के प्रस्तावों पर भी बिचार किया जाए ।

6–प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षको के प्रस्ताव बिचारण में नहीं लिये जाएं ।

7–राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु प्राप्त सभी प्रस्तावों पर एक साथ बिचारण हेतु जिला चयन समिति / संभागस्तरीय चयन समिति की बैठक किसी एक निर्धारित दिनॉक को आयोजित की जाए तथा इसमें सभी सदस्य अनिवार्यतः उपस्थित होएं । प्राप्त सभी प्रस्तावों पर समिति द्वारा वस्तुनिष्ठता के आधार पर बिचार किया जाकर योग्य शिक्षकों के नाम तीनों श्रेणियों में पृथक–पृथक अनुशंसित किये जाएं ।

8–शासकीय,अशासकीय तथा समेकित शिक्षा / परंपरागत पाठशालाओं के लिए श्रेणीवार अनुशंसाएॅ कार्रवाई विवरण में निम्नानुसार तीन भागो में की जाएं :– भाग (1) मे प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 8 तक) में अध्यापन करने वाले शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा ।भाग (2)में माध्यमिक कक्षाओं (कक्षा 9 से 12 तक) में अध्यापन करने वाले शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा । भाग (3) में निःशक्त बच्चों की समेकित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले शिक्षक/ परंपरागत पाठशालाओं के शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा(भाग–अ प्राथमिक,भाग–ब माध्यमिक) । यदि किसी श्रेणी में किसी नाम की अनुशंसा नहीं है तो तदनुसार स्पष्ट उल्लेख कार्रवाई विवरण में किया जाए ।

9–अनुशंसित शिक्षकों के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उनके सेवाकाल हर प्रकार से निष्कलंक हों । यदि आवश्यक हो तो संबंधित पुलिस थाने से भी इसका सत्यापन करा लिया जाए ।

10—यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुशंसित शिक्षक कभी दण्डित नहीं हुआ है , और उसके विरूद्ध कोई विभागीय जॉच अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं है ।

11—अनुशंसित प्रस्तावों पर जिला चयन समिति / संभागस्तरीय चयन समिति के सभी सदस्यों के पदमुद्रा एवं नाम सहित पूर्ण हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए । इसके अभाव में प्रस्ताव पर बिचार नहीं किया जावेगा ।

12—जिला चयन समिति / संभाग स्तरीय चयन समिति के कार्रवाई विवरण की मूल प्रति एक पृथक सीलबंद लिफाफे में रखकर भेजी जावे ।

13—सभी अनुशंसित शिक्षकों के मूल वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एक पृथक सीलबंद लिफाफे में रखे जाएं तथा लिफाफे पर तदनुसार उल्लेख किया जाए । वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ कदापि संलग्न नहीं किये जाएं । वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के अभाव में प्रस्ताव पर बिचार नहीं किया जाएगा ।

14—अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में प्रथम मतांकन शाला संचालन समिति सचिव द्वारा तथा द्वितीय मतॉकन संबंधित संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाएगा ।सभी वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है ।

15—सभी प्रस्ताव परिशिष्ट –1,2,3 अनुसार प्रपत्र में ही भेजे जाएं । पूर्व वर्षों में तैयार किये गये प्रस्ताव यथावत नहीं भेजे जाएं बल्कि पुनः नवीन प्रस्ताव तैयार कर भेजे जाएं ।

16—अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के प्रस्ताव भी परिशिष्ट – 1,2,एवं 3 अनुसार प्रपत्र में ही भेजे जाएं । इस विषयक अन्य स्पष्टीकरणों हेतु शासकीय शिक्षकों के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुरूप तदात्मय स्थापित कर बिचार किया जाए ।

17—परीक्षाफल प्रतिशत तथा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के वर्गीकरण के संबंध में संस्था प्रमुख द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि संगत अभिलेखों से अवश्य की जानी चाहिए ।

28/5/09

आयुक्त,लोक शिक्षण

मध्यप्रदेश

परिशिष्ट–एक

फोटो
यहाँ
चिपकाये

भाग–क
शिक्षक के विवरण

1– नाम (बड़े अक्षरों में) :..

2– वैवाहिक स्थिति के साथ स्त्री / पुरुष :..

3– पदनाम तथा पिन कोड संख्या सहित...
स्कूल का पूरा पता ....

4– पिन कोड संख्या सहित पूरा ....
आवासीय पता..

5– पिन कोड संख्या सहित पूरा :...
स्थाई पता ....

6– विद्यालय प्राथमिक है या माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक :...

7– जिला ....

8– राज्य ....

9– जन्मतिथि ....

10– वर्तमान आयु ....

11– सेवानिवृत्ति की तारीख..

12– यदि सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करते हुए बताए कि क्या राज्य प्राधिकारियों द्वारा सेवा में बिस्तार किया गया है ।...
....

13– शिक्षक के रूप में सेवा शुरू करने की तारीख सहित कुल सेवा ....
कुल सेवा ....वर्ष ....महीना ....
शिक्षक के रूप में सेवा
शुरू करने की तारीख ....

सेवा रिकार्ड

संस्था का नाम	स्तर–प्राथमिक/ माध्यमिक आदि	प्रबंधन सरकारी / सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त
1	2	3

कुल दाखिला	सेवा की अवधि दिनॉक महीना एवं वर्ष सहित	पढ़ाए गए विषय	पढ़ाई गई कक्षाएँ
4	5	6	7

सार्वजनिक या वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम	पूरी की गई कोई अन्य जिम्मेदारी
8	9

14– कुल अनुभव अवधि ....से ....तक

शिक्षण
प्रशासनिक
अन्य

कुल

भाग– ख

15– प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के मामले में स्कूल में दाखिला बढ़ाने के लिए तथा कक्षा बीच में छोड़ने की स्थिति को रोकने के लिए शिक्षक द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ? स्कूल और जिले के संबंध में विगत तीन वर्षों के दाखिला / स्कूल में बनाये रखने की प्रतिशतता संबंधी ऑकड़े दें ताकि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में हुई प्रगति को दर्शाया जा सके ।

....

....

....

16– माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के मामले में विगत पॉच वर्षो में माध्यमिक स्तर पर स्कूल में कक्षा छोड़ देने वालों की दर क्या रही है ? उसे रोकने के लिए शिक्षक ने क्या कद उठाये हैं ?

....

....

....

17– बोर्ड परीक्षा में शिक्षक की कक्षा के क्या परिणाम रहे हैं ? विगत पॉच वर्षो के दौरान शिक्षक के कक्षा / विषय में उत्तीर्ण होने वालों और प्रथम श्रेणी पाने वालो की प्रतिशतता दे ।

....

....

....

18– क्या शिक्षक ने स्कूल के भौतिक विकास के लिए निर्धारित सामुदायिक संसाधनो का संघठन किया है ? यदि हॉ तो विवरण दें ।

....

....

....

19– शिक्षकों / प्रधानाध्यापकों के मामले में विगत पाँच वर्षों के दौरान कक्षा / स्कूल में अनुशासनहीनता के मामलों, यदि कोई हो तो संख्या बतायें ।

....

....

....

20– क्या शिक्षक ने राष्ट्रीय अंखण्डता को प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट कार्यकलापों को शुरू किया है ? विवरण दें ।

....

....

....

21– निम्नलिखित सूचना विशेष रूप से दी जानी चाहिये

– क्या वे प्राइवेट शिक्षण देते / देती हैं ?

....

....

क्या वे राजनीतिक / ट्रेड यूनियन के कार्यकलापों में सम्मिलित होते / होती हैं ?

....

....

–क्या वे शिकायत करने और कानूनी पचड़े में पड़ने के आदि हैं?

....

....

–क्या वे समयनिष्ट हैं ?

....

....

ध्यातव्य सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय उपर्युक्त सूचना को 75 प्रतिशत अधिमान्यता दी जानी चाहिए ।

22– क्या शिक्षक ने विद्यार्थियों पर अपने शिक्षण के अधिक प्रभाव के लिए कोई नवाचारी प्रयोग किया है ? संक्षिप्त विवरण दें ।

....

....

....

23– कक्षा के शिक्षण को अधिक रूचिकर बनाने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयुक्त जन मीडिया सहित सहायक शिक्षण सामाग्रियों के प्रकार क्या हैं ?

....

....

....

24– क्या शिक्षक प्रतिभावान और कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान और उनको विशेष सहायता प्रदान करते हैं ? यदि हॉ तो विवरण दें ।

....

....

....

25– क्या शिक्षक ने किसी सेवाकाकलीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं आदि में भाग लिया है ? यदि हॉ तो विगत पॉच वर्षों के विवरण दें ।

....

....

....

26– क्या शिक्षक स्कूलों में सह–पाठ्यचर्या या पाठ्येत्तर कार्यकलापों को आयोजित करने में सक्रिय रूचि लेते हैं ? विवरण दें ।

....

....

....

27– क्या शिक्षक ने कोई लेख, पाठ्य–पुस्तक आदि लिखी है ? यदि हॉ तो विवरण दें ।

....

....

....

28– क्या विगत 10 वर्षों के दौरान शिक्षक को स्कूल समुदाय या सरकार से कोई मान्यता / पुरस्कार या इनाम मिला है ? यदि हॉ तो विवरण दें ।

....

....

....

29– उपर अनुल्लिखित कोई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि

....

....

....

भाग – ग

अपने वरिष्ठ शिक्षकों के मूल्यॉकन के आधार पर शिक्षक के बारे में टिप्पणी

30– क्या विद्यार्थियों के बीच शिक्षक का सम्मान है ?

....

....

....

31– क्या वे विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाये रखने में सक्षम है ?

....

....

....

32– क्या शिक्षक अपने सहकर्मियों और अन्य लोगों के साथ मधुर संबंध बनाये रखते हैं ?

....

....

33– क्या समुदाय द्वारा विशेष तौर पर माताओं – पिताओं द्वारा उनको अच्छा सम्मान मिलता है

....

....

....

34– अभिभावक – शिक्षक संघ के कार्यकलाप आदि यदि कोई हो , में शिक्षक की क्या सहभागिता है ?

....

....

....

35– संस्था के प्रधान द्वारा सामान्य मूल्यॉकन

....

....

....

36– जिला स्कूल निरीक्षक / शिक्षा अधिकारी द्वारा सामान्य मूल्यॉकन दाखिला

....

....

....

//जिला चयन समिति की स्पष्ट अनुशंसा//

(नाम------------)
नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
सदस्य
जिला चयन समिति

(नाम ------------)
नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
सदस्य
जिला चयन समिति

(नाम-----------)
नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
सदस्य
जिला चयन समिति

(नाम ------------)
नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
अध्यक्ष
जिला चयन समिति

//संभाग स्तरीय चयन समिति की स्पष्ट अनुशंसा//

(नाम------------)
नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
सदस्य
संभाग स्तरीय चयन समिति

(नाम ------------)
नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
सदस्य
संभाग स्तरीय चयन समिति

(नाम------------)
नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
सदस्य
संभाग स्तरीय चयन समिति

(नाम ------------)
नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
अध्यक्ष
संभाग स्तरीय चयन समिति

परिशिष्ट – दो

अनुशंसित शिक्षक के संबंध में निष्कलंक तथा सतत सेवा का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2009 के लिए अनुशंसित शिक्षक श्री / सुश्री श्रीमती ....पदनाम ....
विद्यालय ....स्थान ....
जिला.. के संबंध में मैने व्यक्तिशः पुष्टि कर ली है , कि उसके विषय में ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं है जिसके कारण वे पुरस्कार देने के लिए अनुपयुक्त हो । विशेष रूप से प्रमाणित किया जाता है कि :–

1– अनुशंसित शिक्षक कभी भी किसी विभागीय या आपराधिक कार्रवाई में दण्डित नही हुए हैं और उनके विरूद्ध ऐसी कोई कार्रवाई वर्तमान में भी लंबित नहीं है ।

2– अनुशंसित शिक्षक के विरूद्ध अन्य किसी प्रकार की कोई जॉच भी प्रचलित नहीं है ।

3– अनुशंसित शिक्षक के विरूद्ध कोई पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है ।

4– अनुशंसित शिक्षक का रिकार्ड तथा पूर्ववृत्त पूर्णतः निष्कलंक है ।

5– अनुशंसित शिक्षक का सेवाकाल सतत है अर्थात् बीच में सेवा ब्रेक नहीं हुई है ।

————————————

(नाम ————————)
जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर
एवं पदमुद्रा

परिशिष्ट – तीन

अनुशंसित शिक्षक का संक्षिप्त जीवन वृत्त

यह लगभग 150 शब्दों का होना चाहिए तथा इसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर वर्णानात्मक जानकारी स्पष्ट तथा व्यवस्थित रूप से दी जानी चाहिए :–

5. जन्मस्थान तथा जन्मतिथि ।
6. शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण तथा अर्जित विशिष्ट उपलब्धियॉ पुरस्कार आदि
7. शिक्षक के रूप में किये गये नवाचार तथा अन्य उल्लेखनीय विशिष्ट उपलब्धियॉ
8. नागरिक के रूप में सामाजिक जीवन में विशिष्ट योगदान

राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कार वर्ष 2009 के लिए परीक्षण पत्रक

1.शिक्षक का नाम	:	
2.पदनाम	:	
3.विद्यालय का नाम एवं पता	:	
	:	
4.जन्मतिथि	:	
5.प्रथम नियुक्ति	:	
6.सेवानिवृत्ति	:	
7.सेवाकाल	:	

8.विगत पॉच वर्षों का वार्षिक गो0प्र0	:2004–05
	: 2005–06
	: 2006–07
	: 2007–08
	: 2008–09

9.विगत पॉच वर्षों का परीक्षा परिणाम	:2004–05
(संबंधित शिक्षक के बोर्ड कक्षाओं	:2005–06
के अध्यापन परिणाम का प्रतिशत	:2006–07
वर्षवार अंकित करें यदि शिक्षक	:2007–08
बोर्ड कक्षाओं का अध्यापन कार्य	:2008–09
नहीं कर रहे हैं तो स्थानीय कक्षाओं के	
अध्यापन परिणाम का प्रतिशत	
वर्षवार अंकित करें)	

10.2 शिक्षक द्वारा किए गए शोध/प्रकाशित पेपर आदि का विवरण : (शिक्षक द्वारा किए गए शोध/प्रकाशित पेपर आदि के संबंध में संक्षिप्त में उल्लेख करें तथा इससे संबंधित प्रस्ताव में संलग्न किए गए अभिलेख एवं प्रमाणों के पृष्ठ संख्या भी अंकित करें)

10.3 शिक्षक के मुद्रित लेख/काव्य संग्रह आदि का विवरण : (शिक्षक द्वारा लिखी गई पुस्तकें/काव्य संग्रह एवं विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लिखे गये लेखों की जानकारी पत्र-पत्रिकाओं के नाम सहित अंकित करें तथा इससे संबंधित प्रस्ताव में संलग्न किए गए अभिलेख एवं प्रमाणों के पृष्ठ संख्या भी अंकित करें)

11.1 शिक्षक द्वारा जन सहयोग से विद्यालय की अधोसंरचना एवं साज-सज्जा हेतु किए गए प्रयासों का विवरण : (शिक्षक द्वारा स्वयं राशि देकर एवं शिक्षक के प्रयासों से विद्यालय की अधोसंरचना एवं सौन्दर्यकरण हेतु किए गए प्रयासों का विवरण अंकित करें एवं इससे संबंधित प्रस्ताव में संलग्न किए गए अभिलेख एवं प्रमाणों के पृष्ठ संख्या भी अंकित करें)

11.2 शिक्षक द्वारा किए गए सामाजिक कार्य/पर्यावरण एवं जल संरक्षण/राष्ट्रीय अखण्डता को प्रोत्साहित करने वाले कार्यों का विवरण : (शिक्षक द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, से संबंधित कार्यों एवं राष्ट्रीय अखंडता को प्रोत्साहित करने वाले कार्यों के संबंध में पृथक-पृथक संक्षिप्त में विवरण अंकित करें एवं इससे संबंधित प्रस्ताव में संलग्न किए गए अभिलेख एवं प्रमाणों के पृष्ठ संख्या भी अंकित करें)

12 साक्षरता अभियान/शिक्षा का लोक-व्यापीकरण/सार्वभौमिकीकरण आदि के क्षेत्र में कार्य : (शिक्षक द्वारा साक्षरता अभियान, शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं सार्वभौमिकीकरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का पृथक-पृथक संक्षिप्त विवरण अंकित करें एवं इससे संबंधित प्रस्ताव में संलग्न किए गए अभिलेख एवं प्रमाणों के पृष्ठ संख्या भी अंकित करें)

13. राष्ट्रीय/राज्य/जिलास्तर पर प्राप्त पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मान : (शिक्षक को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पुरस्कारों, प्रशंसा-पत्रों एवं सम्मान पत्रों का विवरण अंकित करें एवं इन्हें जारी करने वाली संस्था एवं सक्षम अधिकारी का भी नाम अंकित करें तथा इससे संबंधित प्रस्ताव में संलग्न किए गए अभिलेख एवं प्रमाणों के पृ० संख्या भी अंकित करें)

...3...

14. शिक्षक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए किए गए विशेष प्रयास तथा शिक्षक के उत्कृष्ट विद्यार्थियों की उपलब्धियाँ : (शिक्षक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए किए गए विशेष प्रयासों तथा शिक्षक के प्रयासों से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले उत्कृष्ट विद्यार्थियों की जानकारी अंकित करें तथा किस विद्यार्थी ने किस क्षेत्र में क्या उपलब्धि प्राप्त की है इसका स्पष्ट उल्लेख करें तथा इससे संबंधित प्रस्ताव में संलग्न किए गए अभिलेख एवं प्रमाणों के पृष्ठ संख्या भी अंकित करें)

(समिति के सभी सदस्यों के नाम पद एवं हस्ताक्षर)